संख्या-548/49-1-22-भू0-08/07

प्रेषक,

बी0एल0 मीणा
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 03 नवम्बर, 2022

विषयः उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, द्वारा नाबार्ड से ऋण आहरित करने हेतु शासन द्वारा नाबार्ड के पक्ष में वर्ष-2022-23 के लिये रू0 800.00 करोड की शासकीय गारण्टी स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय-

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या-260/49-1-2022-भू0-8/07 दिनांक 17 जून, 2022 एवं संख्या-270/49-1-2022-भू0-8/07 दिनांक 20 जून, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें- जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, द्वारा नाबार्ड से ऋण आहरित करने हेतु शासन द्वारा नाबार्ड के पक्ष में वर्ष-2022-23 के लिये रू0 1000.00 करोड की शासकीय गारण्टी कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उक्त पत्रों दिनांक 17 जून, 2022 एवं दिनांक 20 जून, 2022 द्वारा नाबार्ड के पक्ष में पूर्व में निर्गत रू0 1000.00 करोड की गारण्टी निरस्त करते हुए उसके स्थान पर रू0 800.00 करोड की गारण्टी स्वीणकृत करते हुए शेष रू0 200.00 करोड में से उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम(एन0बी0सी0एफ0डी0सी0) एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन0एस0एफ0डी0सी0) से क्रमशः रू0 100.00 करोड़ एवं रू0 100.00 करोड़ का ऋणवित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु उक्त दोनों निगमों के पक्ष में शासकीय गारण्टी स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- शासन के उक्त पत्रों में इंगित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेगें।

4- इस सम्बन्ध में गारण्टी की सीमा स्वीकृत करने से सम्बन्धित गारण्टी डीड मूलरूप में संलग्न कर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

5- उक्के आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बी0एल0 मीणा0)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन सख्यां- 548(1)/49-1-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नंलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्ययक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- मुख्य महाप्रबन्क नाबार्ड।

2- प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ।

3- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-2/वित्त(आय व्ययक अनुभाग-4

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से-

(बी0एल0 मीणा0)

प्रमुख सचिव।